मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 505/463/98/9/1 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
भोपाल.

विषय.— मूल गोपनीय चरित्रावली के स्थान पर लोक सेवा आयोग को छायाप्रति भेजी जाना.

शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि शासकीय सेवकों के विभागीय पदोन्नति समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार परिभ्रमण, न्यायालयीन एवं विभागीय जांच के प्रकरण के साथ विभागों द्वारा लोक सेवा आयोग को संबंधित अधिकारी की मूल गोपनीय चरित्रावलियां भेज दी जाती हैं जिससे उनके गुम हो जाने की संभावना रहती है.

2. शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य संस्था को यदि किसी शासकीय सेवक की गोपनीय चरित्रावलियां भेजना हो तो मूल गोपनीय चरित्रावली का मूलप्रतियों का फोल्डर (डोजियर) न भेजते हुए गो. च. की छायाप्रतियां भेजी जाए जो उप सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगी. छायाप्रतियां किसी जिम्मेदार अधिकारी की देख-रेख में ही तैयार कराई जाए तथा कार्य पूर्ण होने पर उक्त छायाप्रतियों को सक्षम अधिकारी के समक्ष विनिष्ट कर दी जाना चाहिये.

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./
(प्रेमचन्द मीणा)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.